



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2026/D-115

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 280964 दिनांक 05/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Neetu Saini W/o Nathu Lal Saini	श्री केशव कुमार पुत्र स्व श्री बृजमोहन शर्मा	8-A	239.25 SQ. YARD	Cooperative	CHITRAGUP T NAGAR-II Sector/Block-	Sub Division and Reconstit ution	श्री केशव कुमार पुत्र स्व श्री बृजमोहन शर्मा ने रजिस्टर्ड उपपंजीकृत विक्रय पत्र मैसर्स एम.एस बिल्डर्स जरिये पार्टनर श्री नन्दकिशोर शर्मा पुत्र स्व. श्री कल्याण सहाय पक्ष में । मैसर्स एम.एस बिल्डर्स जरिये पार्टनर श्री नन्दकिशोर शर्मा पुत्र स्व. श्री कल्याण सहाय ने श्रीमती नीतू सैनी पत्नी श्री नाथु लाल सैनी रजिस्टर्ड उपपंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तावित उप विभाजित मानचित्र की प्रति ।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Neetu Saini W/o Nathu Lal Saini को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |